



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 812]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 3, 2017/आश्विन 11, 1939

No. 812]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 3, 2017/ASVINA 11, 1939

विदेश मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2017

सा.का.नि.1215(अ).—पासपोर्ट अधिनियम, 1967 (1967 का 15) की धारा 24 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एतद्द्वारा पासपोर्ट (संशोधन) नियम, 2012 के संशोधन के विस्तार में निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों को पासपोर्ट (संशोधन) नियम, 2017 कहा जाएगा।

(2) ये नियम आधिकारिक राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. पासपोर्ट नियम, 2012 में, अनुसूची IV में, क्रम संख्या 4 के बाद की टिप्पणी में और इससे संबंधित प्रविष्टियों में निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि सन्निविष्ट की जाएगी, अर्थात्:-

"5. 8 वर्ष तक की आयु के अवयस्कों और वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों) को पासपोर्ट हेतु पहली बार आवेदन करने पर (और पुनःजारीकरण पर नहीं) पासपोर्ट शुल्क में दस प्रतिशत की छूट दी जाएगी।"

[फा. सं. VI/401/1/9/2017]

अरुण कुमार चटर्जी, संयुक्त सचिव (पी.एस.पी.) एवं मुख्य पासपोर्ट अधिकारी

पाद टिप्पणी: पासपोर्ट नियम, 1980 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 691(अ) के द्वारा दिनांक 11 दिसम्बर, 1980 को प्रकाशित किए गए थे और सा.का.नि. 435(अ), दिनांक 04 मई, 2017 के द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th September, 2017

G.S.R. 1215(E) .—In exercise of the powers conferred by section 24 of the Passports Act, 1967 (15 of 1967), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Passports (Amendment) Rules, 2012, namely:—

1. (1) These rules may be called the Passports (Amendment) Rules, 2017.
(2) These shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Passports Rules, 2012, in Schedule IV, in the Note, after serial number 4 and the entries relating thereto, the following serial number and entry shall be inserted, namely:—

“5. There shall be a discount of ten percent in passport fee for fresh applications (and not for re-issue) in respect of minors up to the age of 8 years and senior citizens (persons above the age of 60 years).”

[F. No. VI/401/1/9/2017]

ARUN KUMAR CHATTERJEE, Jt. Secy. (PSP) & Chief Passport Officer (CPO)

Foot Note- The Passports Rules, 1980 were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* Notification number G.S.R. 691(E), dated the 11th December, 1980 and last amended *vide* Notification Number G.S.R. 435(E), dated the 04th May, 2017.